(229)

बजट आवंटन/आयोजनागत

संख्या– /ix /2012/37/2008

प्रेषक,

पी0सी0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादून दिनांक– 28 मार्च, 2012

विषयः– जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में स्थित राजकीय हैलीपैड का उच्चीकरण, विस्तार एवं सुधार कार्य हेतु रू0 17.98 लाख धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–1418/15–04 (पार्ट–II)/2004–05 रूद्रप्रयाग दिनांक 21 फरवरी, 2012 जो शासन को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रूद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में स्थित हैलीपैड के उच्चीकरण, विस्तारीकरण एवं सुधार कार्य हेतु लोक निर्माण निभाग, ऊखीमठ जनपद रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तुत रू0 18.47 लाख के आंगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग की गणना के पश्चात औचित्यिपूर्ण धनराशि रू0 17.98 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय हेतु अग्रिम आहरण की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था/लोक निर्माण विभाग को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट अथवा कोषागार चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

2. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकरी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कारनी आवश्यक होगी।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

–2–

7. आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

9. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

10. स्वीकृत की जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक सूचना निर्धारित प्रपत्र पर शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा एवम् उक्त धनराशि का दिनांक 31–03–2012 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा यदि दिनांक 31–03–2012 तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी। अग्रिम का समायोजन दिनांक 31–3–2012 तक अवश्य कर दिया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक 5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02– विमानपत्तन–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–04–हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य–00–24 बृहद निर्माण की मद के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–237/XXVII(2)/2012,दिनांक 27 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 06 (1)/ix /2012/37/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (ए एण्ड ई) उत्तराखण्ड ओबेराय, मोटर्स, बिल्डिंग माजरा देहरादून।
3. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
5. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6. सातवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग।
7. वित्त अनुभाग–2
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।